A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
64 / प्रा.पत्र / 2020	02.11.2020	29.11.2024

1. रामनाथ आ0 मोड़ूलाल जाति कहार निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

1. आवंटन सलाहकार समिति जर्ये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी।
   बुद्दा आ0 भोलाशंकर जाति चमार निवासी हाल दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी। **(मृतक)**
2. रामलाल आ0 स्व0 बुद्दा जाति चमार निवासी ग्राम दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी।
3. हीरालाल आ0 स्व0 बुद्दा जाति चमार निवासी ग्राम दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी।
4. मोहनलाल आ0 स्व0 बुद्दा जाति चमार निवासी ग्राम दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी।
5. सुरेश आ0 स्व0 बुद्दा जाति चमार निवासी ग्राम दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी।
6. श्रीमति केसर बेवा बुद्दा जाति चमार निवासी ग्राम दुगारी, तहसील नैंनवा जिला बुन्दी।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से– बृजराज शर्मा
अप्रार्थीगण की ओर से–विद्वान अभिभाषक श्री वहीद अहमद

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 4895 / 1229 रकबा 08 बीघा, वाके ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां जिला बून्दी का बुद्दा आ0 भोलाशंकर निवासी दुगारी तहसील, नैंनवा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1975 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बुद्दा की मुत्यु हो चुकी हैं, जिसके कायम मुकाम को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अवगत कराया कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 4895 / 1229 रकबा 08 बीघा, वाके ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां जिला बून्दी का आवंटन

A 6/2

बुद्दा आ0 भोलाशंकर निवासी दुगारी तहसील, नैंनवा के नाम परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 29.11.1975 को किया गया था। आवंटन कमेटी में एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है, किन्तु आवंटन के समय वैधानिक कोरम मौजूद नही था। आवंटी द्वारा आवेदन में स्वयं का व्यवसाय मजदूरी करना बताया गया हैं न की कृषक। उक्त भूमि आज भी गैरखातेदारी दर्ज हैं। आवंटी का भूमि पर कब्जा कभी नहीं रहा है अपितु प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा हैं। आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। अतः उक्त आवंटन खारिज किया जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी को उक्त आवंटन नियमानुसार किया गया था। आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन था, जिस कारण से आवेदन पत्र में स्वयं को मजदूर बताया गया था। उक्त आवंटन को 45 वर्ष के बाद खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। आवंटी को भूमि का आवंटन परार्मशदात्री समिति द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर किया गया है, एवं पटवारी द्वारा आवंटी को कब्जा दिलवाया गया। उक्त भूमि के सम्बंध में आवंटन से 3 वर्ष के अन्दर आवंटी को कब्जा नहीं होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं व न ही आवंटी को ऐसा कोई नोटिस दिया गया हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर आवंटन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 4895/1229 रकबा 08 बीघा, वाके ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां जिला बून्दी का आवंटन बुद्दा आ0 भोलाशंकर निवासी दुगारी तहसील, नैंनवा के नाम परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 29.11.1975 को किया गया था। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि आवंटन के समय आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था एवं पटवारी द्वारा आवंटन आदेश के बाद आवंटी को कब्जा संम्भलाया गया था। जिसके बाद से 3 वर्ष तक काश्त नहीं करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं है एवं न ही तहसीलदार द्वारा आवंटी को कोई नोटिस दिया गया जिससे साबित होता हो की आवंटी का आवंटन के 3 वर्ष तक कब्जा काश्त न हो। अतः आवंटी द्वारा आवंटन नियम की शर्तो की पालना की गई हैं। उक्त आवंटन आदेश यथायत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी को किया गया आवंटन दिनांक 29.11.1975 खसरा संख्या 4895/1229 रकबा 08 बीघा, वाके ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां जिला बून्दी का आवंटन बुद्दा आ0 भोलाशंकर निवासी दुगारी तहसील, नैंनवा यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
बून्दी